Form No. III

फर्द अहकाम

पूरनसिंह ....बनाम ....भूरोदेवी वगै०..........

किस्म मुकदमा ..प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट .... 160/24 सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
23.07.2024	प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें का निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02, 03, 04, 05, 06 में वर्णित आराजीयात बाके ग्राम ओखलियापुरा तहसील बयाना स्थित है में वादी/प्रार्थी हिस्से के आराजी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें। रहन वय मुन्तिकल नहीं करें। रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। साथ ही प्राईमा फेसी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अतः उभयपक्षकारान के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी 29.08.2024 तक इस आशय की जारी की जाती है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02, 03, 04, 05, 06 में वर्णित आराजीयात बाके ग्राम ओखलियापुरा तहसील बयाना को बेचान नहीं करें। **नोट– यह स्थगन आदेश 251A व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् रास्ते सम्बन्धी विधि अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा साथ ही यदि प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का कोई समर्पण कराना चाहता है तो स्थगन का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके आधार पर कृषि कार्य बंद नहीं करवाया जावे।** पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/रजिस्टर्ड डाक द्वारा तलबी हेतु तलबाना पेश हो अन्यथा आगामी तारीख पेशी को अस्थायी निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी समझी जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 29.08.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)	

पीठासीन अधिकारी श्रीमान् कार्य में व्यस्त है

पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/12/24 को पेश हो

29/8/24

एस.डी.एम.

6/11/24 — पेश प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण की तामील — रिपोर्ट — पत्रावली के साथ नहीं पायी गयी। पुनः अप्रार्थीगण को तामील — हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली दि. 20/01/25 को पेश हो।

01-अवकाश पर है

20/3/25 पीठासीन अधिकारी .... हैं
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/5/25 को पेश है
रीडर
जो./एस.डी.एम

बैठक कार्य में

8/5/25 पीठासीन अधिकारी .... हैं
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5/8/25 को पेश है
रीडर
जो./एस.डी.एम

5/8/25 — पेश। अप्रार्थीगण को पूर्व आदेश की पालना में तामील हो नहीं। अतः पालना सुनिश्चित हो। पत्रावली दि. 27/10/25 को पेश हो।

27/10/25 प्रकरण आज पेश हुआ। प्रकरण स्थगित दि. 11/11/25 को पेश हो।

11/11/25 प्रकरण आज मूल दावे में नजदीक तारीख पेशी दरख्वास्त पर पेश हुआ। वकील प्रार्थी हाजिर जाहिर किया। प्रकरण वादी आगे नहीं चलाना चाहता है। प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जावे। वकील प्रार्थी ने प्रकरण Not-Press किया गया।
अतः प्रार्थी वकील के Not-Press किये जाने के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली कैजल शुमार होकर नम्बर जो कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Not Press 11/11/25